तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	460/2017 1	
03/5/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी की स्वयं की कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 108/1 रकबा 122.10 बीघा मे से 10 बीघा भूमि जिस पर वादी 17 जुलाई 1980 से काबिज काश्त करता चला आ रहा है और उपयोग - उपभोग मे लेता आया है जो उक्त खसरा नम्बर 108/1 के उत्तरी भाग में खसरा नम्बर 107 से लगती हुई है, जिसमे वादी अपने मकानात बना कर अपने परिवार सहित निर्बाध से निवास कर रहा है इसमें वादी का बाड़ा भी है जिसमे वादी अपने मवेशी आदि बाधता है तथा शेष बची भुमि मे खेती बाडी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। उक्त विवादित भूमि 1980 से पूर्व मकबूजा ठिकाना लगानी थी और इसकी किस्म बंजड थी और उबड खाबड़ थी जिसको वादी ने ट्रेक्टर चलाकर और अपने स्वयं का पैसा खर्च कर कृषि योग्य बनाने हेतु लाखो रूपये खर्च कर समतल बनाकर कृषि योग्य बनाया है तब से वादी इसका उपयोग - उपभोग करता आ रहा है। वादी ने इस भूमि को अपने नाम अलाटमेन्ट करवाने के लिए कई बार प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय मे जाकर सम्पर्क किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ने जान बुझकर इस भूमि का अलाटमेन्ट वादी के नाम नही किया। वादी अनपढ साक्षर व्यक्ति है इसका फायदा	

उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी की भूमि को गैर मुमकिन नाले मे दर्ज कर दी और वादी को अब्दुल रहमान बनाम सरकार के केस का हवाला देकर वादी को अलाटमेन्ट करने से मना कर दिया जबकी वादी की कब्जेशुदा भूमि मे कोई नाला या नदी नही है फिर भी जानबूझकर इसको गैर मुमकिन नाले मे दर्ज कर दिया। वादी के बार-बार निवेदन करने पर भी वादी को उक्त भूमि ना तो अलाट की और ना ही किस्म परिवर्तन की और प्रतिवादी संख्या 3 ने चुपचुप तरीके से गैर मुमकीन नाले को हटाकर चरागाह भूमि घोषित कर दिया जबकी यह भूमि प्रारम्भ से ही ठिकाना जागीरदार की भूमि थी उसके पश्चात यह भूमि सिवायचक किस्म मे परिवर्तित हुई तब से वादी का इसमे कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 16/6/2016 को प्रतिवादीगण के अधिकारी व कर्मचारी कुछ अन्य व्यक्तियो के साथ भूमि विवादग्रस्त मे वादी के कब्जे काश्त वाले विशिष्ट भू-भाग पर आये और बजरी का ट्रक एवं पत्थरो की ट्रोली गिरवा दी और मजदूर और कारीगर लगा कर पुख्ता भवन निर्माण करने के लिए नींव खोदने लग गए जो कि अपने आप को बड़े अधिकारी बता रहे थे, ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि यह भूमि सरकारी स्कुल को अलाटमेन्ट कर दी है अब यह भूमि स्कुल की भूमि है तुम ने इस पर नाजायज कब्जा कर रखा है तो वादी ने निवेदन किया कि यह भूमि तो मेरे कब्जेकाश्त की भूमि है तथा इसको अलाटमेन्ट करवाने के लिए कई बार आवेदन कर चुका हूं तो यह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2017	3.	

भूमि कैसे सरकारी स्कूल को अलाटमेन्ट कर सकते हो तो उन्होने धमकी दी कि हम बडे अधिकारी है हम कुछ भी कर सकते है हम तुमको तुम्हारे हक व हिस्से की भूमि पर तुमको शान्तिपूर्वक काश्त नही करने देगे तथा प्रतिवादीगण के अधिकारी व कर्मचारीयो ने यह भी धमकी दी कि ये भूमि सरकारी स्कूल की है तुम वादी को भूमि से जबरन बेदखल करके ही रहेगे। वादी ने प्रतिवादीगण के अधिकारी व कर्मचारीयो को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वे नही माने तथा अपनी उक्त धमकियो पर कायम रहे, प्रतिवादीगण के अधिकारी व कर्मचारीयो की उक्त धमकियों के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार उत्पन्न हो रहा है इसलिए वादी को अपने विधिक अधिकारों की रक्षा हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

वादी ग्राम चारणवास तहसील बस्सी मे स्थित ख.न. 1081 मे स्थित भूमि मे से 10 बीघा भूमि जिस पर वादी अरसे-दराज से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा उक्त भूमि को अपने निरन्तर 36 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहा है के आधार पर कई बार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को उक्त भूमि के किस्म में किये गलत इन्द्राज को दुरुस्त कर वादी के स्वयं के नाम से आवंटन करने हेतु आवेदन कर चुका है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने जान बूझकर उक्त आवंटन होने योग्य भूमि वादी के नाम आवंटित नही कि और गुपचुप तरीके से उक्त भूमि कि किस्म परिवर्तन कर बिना किसी आधार के राजस्व नियमों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से वादी की कब्जे काश्त की भूमि को आवंटन कर खातेदारी दर्ज कर

अपील अधिकारी जयपुर

डी जिसको दुरूस्त कर निरस्त करवाने तथा वादी स्वयं के नाम से खातेदारी घोषित करवाने का कानूनी हकदार व अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात ग्राम चारणवास तहसील बस्सी जिला जयपुर में वादी की अरसे-दराज से कब्जेशुदा भूमि स्थित है जिसके आराजी ख.न. 108/1 रकबा 122.10 बीघा मे से 10 बीघा जो उक्त ख.न. 108/1 के उत्तरी भाग मे ख.न. 107 से लगती हुई है जो प्रतिवादी स.1 को आवंटन की गई है को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुए प्रतिवादी स.1 का नाम हज्फ फरमाया जाकर वादी के नाम से 10 बीघा भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग व कब्जे मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, ना किसी अन्य से करावें तथा कब्जेशुदा भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा न बेचान करे न हस्तान्तरित करे। ऐसा न स्वयं करे ना ही आपने एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावे।

जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार बस्सी से मौका स्थिति की वस्तु स्थिति रिपोर्ट तलब की गई। पेशकार-सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत हुआ तत्पश्चात प्रतिवादी स.2 की तामील पर्याप्त मानी जाकर प्रतिवादी स.1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी स.1 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं पत्रावली साक्ष्य सबूत तनकीयात हेतु नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प दुब्बली मे नियत की जाकर वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया। जिसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादी/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराकर बहस में निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सबूत, तनकीयात हेतु नियत था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से सीधे ही बिना साक्ष्य सबूत, तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया ऐसी स्थिति मे स्पष्ट रूप से वादी/अपीलार्थी के कानूनी अधिकारों का हनन हुआ है एवं उसे अपने वाद को साबित करने हेतु साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का ही अवसर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया जबकि वादी/अपीलार्थी द्वारा दावे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी/अपीलार्थी का वाद प्रथमदृष्टया सिद्ध था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर उसके आधार पर ही सरसरी तौर पर वादी/अपीलार्थी का वाद गलत रूप से खारिज कर दिया गया जबकि दावे के निर्णय से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय को समस्त विधिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना आवश्यक था। अतः वादी/अपीलार्थी की

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना सरसरी तौर पर गलत रूप से पारित निर्णय व डिक्री जेर अपील को निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किये जावे कि वे समस्त साक्ष्य सबूत प्राप्त कर सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 को नियमानुसार विधिवत ख.नं. 108/1 कुल रकबा 122.10 बीघा मे से 2 बीघा भूमि आंवटीत की गई थी, जिसमे अपीलान्ट का कोई हक अधिकार नही है। रेस्पोडेन्ट सं.1 अपनी आंवटीत भूमि पर विधिवत काबिज है जिसे अनावश्यक हैरान-परेशान एव बेदखल करने हेतु अपीलार्थी लगातार प्रयास कर रहे है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस मे आगे निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.1/ रेस्पोडेन्ट सं.1 को नियमानुसार विधि के अनुसार भूमि की किस्म परिवर्तित कर भूमि 2 बीघा आंवटीत की गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा गलत रूप से प्रकरण प्रस्तुत कर प्रतिवादी/ रेस्पोडेन्ट सं.1 को आंवटीत की भूमि से बेदखल करने पर आमदा हो रहे है। चूंकि उक्त 2 बीघा आंवटीत भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु स्कूल के लिये है जिस पर अपीलान्ट को कोई हक अधिकार नही होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। इसके अतिरिक्त अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
2017	7	

रेस्पोडेन्ट-2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी/अपीलार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1081, रकबा 122.10 बीघा मे से 10 बीघा भूमि के संदर्भ मे प्रस्तुत वाद चारागाह भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी को चरागाह भूमि का खातेदार कानूनन घोषित नही किया जा सकता सही रूप से धारित करते हुये ही वादी का वाद खारिज किया गया है जो उचीत होने से अपील अपीलार्थी भी खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसकी आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद साक्ष्य सबूत व तनकीयात कायम किये जाने हेतु नियत था किन्तु सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे साक्ष्य, सबूत लिये बिना ही एवं तनकीयात कायम किये बिना ही भाग तहसीलदार से प्राप्त वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण मे विधिक प्रक्रियाऐ अपनाऐ बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 12/6/2017 सरसरी तौर पर पारित कर दिया गया, जो उचित प्रतीत नही होता है। इसके विपरित प्रकरण मे जहाँ तक भूमि खसरा नम्बर 1081 मे से रेस्पोडेन्ट स.1 को आंवटीत 2 बीघा भूमि का प्रश्न है तो उक्त आंवटीत 2 बीघा भूमि पर आंवटन के पश्चात से ही

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
468/2017	जमीला / सरकार	8

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का विधिक रूप से काबिज होना जाहिर होता है एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को हुए उक्त 2 बीघा आवंटन पर अपीलार्थी द्वारा की गई कोई आपत्ति का निस्तारण इस अपील अथवा वाद के माध्यम से नही किया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12/6/2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समस्त साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान कर तनकीहात कायम कर प्रकरण का निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/5/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर